

अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 128/2024 (जी.सी.एम.एस. 2024/219)

वादीगण

बनाम

प्रतिवादी

1. गुरमुख सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति
कम्बोसिख निवासी 47 एफ तहसील
श्रीकरणपुर।
2. जसवीर सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह जाति
कम्बोसिख निवासी 47 एफ तहसील
श्रीकरणपुर।

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जग्गि
तहसीलदार श्रीकरणपुर

उपस्थित: 1. श्री सुधीर शर्मा अधिवक्ता वादी

तारीख रजु: 09.07.2024

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय—

दिनांक : 30.08.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/56 के मुख्या नम्बर 35 की कुल 3.289 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 43/42 के मुख्या नम्बर 26, 35, 61 की कुल 3.034 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 63/58 के मुख्या नम्बर 10 की कुल 0.779 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण के नाम मुश्तर्का खाता में भूमि दर्ज है। उक्त खातों में वादी का नाम गुरमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह दर्ज है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजों में नाम गुरमुख सिंह पुत्र स्वर्ण सिंह अंकित है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजों के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। वर्तमान में अनुदान/ऋण संबंधित आवेदन पत्र ऑनलाईन हो चुके हैं, जिनका दस्तावेजों के अनुरूप मिलान किया जाता है, उसके पश्चात् ही अनुदान/ऋण स्वीकृत करना अनिवार्य कर दिया है। इस कारण विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ रहा है। इसलिए भी उक्त संशोधन करवाने हेतु वादी माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आशय के संशोधन हेतु घोषणा करवा रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/56, खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 1 के अंकित नाम गुरमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर गुरमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह व खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 2 के अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पत्रांक 2626 दिनांक 07.08.2024 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक पटवारी हल्का द्वारा मोक के पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि वादीगण गुरमुख सिंह, जसवीर सिंह के पिता का सही नाम स्वर्ण सिंह है। सरवन सिंह व स्वर्ण सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। वादीगण के पिता के नाम के नाम के

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर



संबंध में बलविन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादीगण अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/56 की छायाप्रति, राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 43/42, राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 63/58 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है। कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/56, खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 1 के अंकित नाम गुरुमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर गुरुमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह व खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 2 के अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज आधार कार्ड की छायाप्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचान पत्र की छायाप्रति में वादीगण के पिता का नाम स्वर्ण सिंह दर्ज है। रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर के अनुसार पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई एवं फर्दमौका बनाया गया जिसमें उपस्थितजनों ने बताया कि वादीगण गुरुमुख सिंह, जसवीर सिंह के पिता का सही नाम स्वर्ण सिंह है। सरवन सिंह व स्वर्ण सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः वाद पत्र वादीगण रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, शपथ पत्र, के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेश:—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136—राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि. क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/56, खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 1 के अंकित नाम गुरुमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर गुरुमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह व खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 2 के अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर लेख भण्डार जमा हो।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]

सहायक क्लर्क (राजस्व) अधिकारी
श्री कर्णपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

[श्योराम (आर.ए.एस.)]

सहायक क्लर्क (राजस्व) अधिकारी
श्री कर्णपुर जिला श्रीगंगानगर



अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, खल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

गुरमुख सिंह आदि बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 128/2024

निर्णय दिनांक :- 30.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई खबर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धाग 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 47 एफ, पटवार हल्का लालबाई, भू.अ.नि.क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 61/56, खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 1 के अंकित नाम गुरमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर गुरमुख सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह व खाता संख्या 43/42 व खाता संख्या 63/58 में वादी संख्या 2 के अंकित नाम जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह के स्थान पर जसवीर सिंह पुत्र सरवन सिंह उर्फ स्वर्ण सिंह दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेंगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। आज दिनांक 30.08.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	04	00	योग	00	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

दिनांक: 30.08.2024

क्रमांक: रीडर/2024/481

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर